(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 60–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 125/अपील/2013–14.

1– जुझार लाल पिता रामा
2– मांगीलाल पिता रामा
3– भेरूलाल पिता रामा
निवासीगण तालाब पिपलीया
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– कंवरलाल पिता भंवरलाल
निवासी ग्राम तालाब पिपलीया
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....प्रत्यर्थीगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा उनके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 267 रकबा 1.830 हेक्टेयर में से 1.07 आरे प्रत्यर्थी कमांक 2 कंवरलाल को विकय किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कलेक्टर, मंदसौर से अनुमति चाहा गया। कलेक्टर द्वारा दिनांक 15–1–2013 को आदेश पारित कर अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, उज्जैन

संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–10–2014 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किये जाने संबंधी अनुशंसा की जाकर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन के विरूद्ध आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 165 आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बनाये गये हैं, और अपीलार्थीगण प्रश्नाधीन भूमि विक्रय कर अपनी अन्य भूमि को सिंचित बनाना चाहते थे, इसलिए भी कलेक्टर द्वारा अनुमति नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण के परिवार के जीवन यापन को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 165 में परिवार के जीवन यापन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश सकारण होकर बोलता हुआ आदेश नहीं है, अतः ऐसे आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने के पश्चात अपीलार्थीगण के परिवार के पास मात्र 2.74 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी, और अपीलार्थीगण के परिवार की संख्या 10 है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के हिस्से में 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि आयेगी । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि का गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य रूपये 10,10,080/– होता है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय का अनुबंध रूपये 3,21,000/– का हुआ है, जो कि बाजार मूल्य से अत्यंत कम विक्रय प्रतिफल अपीलार्थीगण को प्राप्त हो रहा है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई

है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर